संख्या-132/2026/I/1277937/2026/006/23-6099(099)/128/2025

प्रेषक,

सुबास राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत के कतिपय जनपदों के 12 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत कतिपय जनपदों के 12 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 2726.76 लाख (रूपये सत्ताइस करोड छबीस लाख छियत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	19948/CE-SEB /RYB/MRT /2025-26 Dt- 11-03-2026	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में बडौत-कोतना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.270 में संकरे/ क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण कार्य।	27/2024/ 2082/ 001-1407-2024-23-11-2024 -दिनांक-06-12-2024	181.02 181.02 0.24 180.78	122.61	58.17	34.12	9.18	43.30
2	19949/CE-SEB/RYB/MBD/ 2025-26 Dt- 11-03-2026	प्रा.ख. सम्भल	जनपद सम्भल में एन0एच0-93 के किमी0 191 चन्दौसी आटा मऊ अस्सू नगलिया बब्लू थरैया जयसिंह पवांसा मार्ग (अ0जि0मा0) कि किमी0-15 पर सोत नदी पर बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	114/2025/804 /23-6099/69/2025 -दिनांक-19-03-2025	494.87 494.87 37.65 457.22	303.75	153.47	120.92	32.55	153.47
3	19950/CE-SEB/RYB/SAH/ 2025-26 Dt- 11-03-2026	नि.ख.-3 सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में चिलकाना गंदेवड मार्ग से लोदीपुर रसूलपुर मार्ग के किमी 0-1 में 1/1 पूर्णतया क्षतिग्रस्त संकरी एवं स्लैब पुलिया के स्थान पर 1/85 /0 बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	309/2025/आई /1127543/2025/23-6099(099)/280/2025-दिनांक-30-10-2025	146.92 146.92 2.54 144.38	73.46	70.92	21.75	5.85	27.60
4	20013/CE-SEB/RYB/JHA/2025-26 D t- 14-03-2026	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झाँसी में दबोह-पूँछ-गुरसराय-टीकमगढ़ (एस0एच0-131) मार्ग के किमी0-20.00(चितगवां) में सिंचाई विभाग की हमीरपुर माईनर पर लघु सेतु सुरक्षात्मक कार्य एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	188/2024/1229/001-1229-23-10-16-2024-दिनांक-12-11-2024	367.23 367.23 4.61 362.62	257.06	105.56	68.89	18.54	87.43

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	20014/CE-SEB/RYB/KNP/ 2025-26 Dt- 14-03-2026	नि.ख.-1 इटावा	देवीपुरा से रूरा मार्ग पर आर०सी०सी० की पुलिया निर्माण का कार्य।	344/2025/आई/1145165/2025/23-6099/178/2025-दिनांक-17-11-2025	100.37 100.37 1.15 99.22	50.19	49.03	23.64	6.36	30.00
6	20185/CE-SEB/RYB/KNP/2025-26 Dt- 19-03-2026	प्रा.ख. कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में भोगनीपुर झींझक बिसधन बिल्हौर मार्ग (राज्य मार्ग-114) के किमी0-55 (झींझक आबादी पर स्थित सेतु) का पुर्ननिर्माण कार्य।	207/2023/1307/001-1307-23-10099/11/2023-दिनांक-25-10-2023	491.59 491.59 51.50 440.09	253.19	186.90	147.26	39.64	186.90
7	20116/CE-SEB/R YB/BAR/2025-26 Dt- 18-03-2026	सेतु निगम पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में मझौली बिरहनी (भरा पचपेड़ा) अन्य जिला मार्ग 04 लेन चौड़ीकरण के संरेखण में किमी0-07 पर प्रस्तावित 02 लेन के 02 देवहा नदी सेतु, मुख्य पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	97/2025/47/23-6-2025-दिनांक-10-03-2025	3533.19 3533.19 0.00 3533.19	2473.24	1059.95	695.94	187.35	883.29
8	20187/CE-SEB/RYB/ADY/2 025-26 Dt- 19-03-2026	नि.ख. अमेठी	जनपद अमेठी में दक्खिनगांव से पाली उरेरमऊ मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी0-4 पर बनी सुबेहा रजवाहा पर बनी सकरी पुलिया के स्थान पर 1X6 मी स्पान के नये लघु सेतु (बाक्स कल्वर्ट) का निर्माण कार्य।	344/2025/आई/1145165/2025/23-6099/178/2025-दिनांक-17-11-2025	115.26 115.26 0.81 114.45	57.63	56.82	40.26	10.84	51.10
9	तदैव	नि.ख. अमेठी	जनपद अमेठी में पूरे हिन्दू सम्पर्क मार्ग के किमी०-1 में बनी क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1X6 मी० स्पान के नये लघु सेतु का निर्माण कार्य।	373/2025/आई/1167842/2025/23-6099/212/2025-दिनांक-08-12-2025	56.92 56.92 0.03 56.89	11.38	45.51	33.62	9.05	42.67
10	20278/CE-SEB/RYB/AZM/2 025-26 Dt- 20-03-2026	प्रा.ख. आजमगढ़	जनपद आजमगढ़ में महुला गढवल बंधा पर ग्राम हाजीपुर खडेलिया-गोला बाजार के घाघरा नदी (गोला घाट) पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	243/2016/152Aa./23-10-15-105 (Setu)/2015-दिनांक-19-12-2016	49224.28 49224.28 1237.56 47986.72	36100.23	11886.49	945.48	254.52	1200.00
11	20305/CE-SEB/RYB/AGR/2025-26 Dt-22-03-2026	नि.ख.-2 आगरा	जनपद आगरा में विधानसभा एत्मादपुर के अन्तर्गत यमुना नदी पर पोइया घाट पर पान्टून सेतु का निर्माण कार्य	318/2025/आई/1130356/2025/23-6099(099)/278/2025-दिनांक-31-10-2025	100.70 100.70 1.60 99.10	50.35	48.75	15.76	4.24	20.00
12	20188/CE-SEB/RYB/B AS/2025-26 Dt-19-03-2026	प्रा.ख. संतकबीर नगर	जनपद संतकबीरनगर में विकास खण्ड नाथनगर के अन्तर्गत हरिहरपुर सिद्धानी छितही मार्ग पर कठनईया नाले पर 4x12 मी0 स्पान के सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	116/2020/1071/23 -10-20-03(सेतु)/2020 -दिनांक-11-11-2020	1222.36 1222.36 74.33 1148.03	1066.66	81.37	0.79	0.21	1.00
कुल योग								**2148.43**	**578.33**	**2726.76**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है, तो अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान धनावंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 21,48,43,000 (रुपये इक्कीस करोड़ अड़तालीस लाख तैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 5,78,33,000 (रुपये पाँच करोड़ अठहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबास राम)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।